भारत में शिक्षा के विकास में विभिन्न शिक्षा आयोग की भूमिका

डॉ. राकेश रंजन सिन्हा,

एसोशिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
इतिहास विभाग, कुवंर सिंह महाविद्यालय,
लहेरियासराय, दरभंगा।

स्वतत्रं भारत में शिक्षा के विकास में विभिन्न शिक्षा आयोगों की विशिष्ट भूमिका रही है। भारत में शिक्षा से संबंधित समस्याओं तथा शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए एक के बाद एक अनेक आयोगों का गठन किया गया। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना होता है। शिक्षा एक आजिवन प्रक्रिया है, जो व्यक्तियों के व्यवहार और व्यक्तित्व को संशोधित करती है। छात्रों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। सन् 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के उपरांत देश की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को पुर्नगठित करने के लिए राष्ट्र के नेताओं ने भारतवर्ष में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। दरअसल स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक शिक्षा शास्त्रियों, राजनैतिक नेताओं, समाज सुधारकों तथा धर्मगुरूओं ने ब्रिटिश काल में अंग्रेज शासकों के द्वारा भारत मे लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की कटु आलोचना की थी तथा उसे भारत की मूलभूत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उचित न मानते हुए उभरते हुए उसे भारतीय प्रजातंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ढ़ालने पर बल दिया थाा। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर इन विचाराको का मत था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन लाकर इसके पुनर्गठन की तत्काल आवश्यकता है जिससे यह स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बन सकें। सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रोपयोगी शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक समझा तथा इसे अपना कर्त्तव्य स्वीकार किया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने समय–समय पर कई शिक्षा आयोगों का गठन किया। इन आयोगों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यमान समस्याओं का अध्ययन करके भारत सरकार को अपने सुझाव देने का निर्देश दिया गया जिससे प्रचलित शिक्षा–व्यवस्था में भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन व परिमार्जन किये जा सकें। इसमें सन् 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सन् 1952 में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा तथा सन् 1964 में गठित शिक्षा आयोग के साथ–साथ सन् 1983 में गठित राष्ट्रय अध्यापक आयोगों तथा सन् 1956 में गठित संस्कृत आयोग प्रमुख हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49 :

ब्रिटिश शासन के अंतिम 50 वर्षो में भारत में उच्च शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ था। इस अवधि में कई विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। परंतु यह वृद्धि संख्यात्मक अधिक थी तथा गुणात्मक कम थी। परिणामतः उच्च शिक्षा का स्तर गिरने लगा। सन् 1947 में जब भारत ने स्वाधीनता प्राप्त की तो यह महसूस किया जाने लगा कि उच्च शिक्षा में व्याप्त कमियों का दूर करके राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करना अत्यंत आवश्यक है। अर्न्तविश्वविद्यालय परिषद् तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भी तत्कालीन विश्वविद्यालयी शिक्षा की स्थिति पर विचार किया तथा एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों का मार्ग दर्शन करने के लिए एक ऐसा आयोग गठित करे जो देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने तथा इसका विकास करने के

लिए सुझाव प्रस्तुत करें। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 4 नवम्बर सन् 1948 को डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे इसके अध्यक्ष के नाम पर राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है ने उच्च एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएँ संकलित की तथा इनका विश्लेषण किया। सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापकों की सेवाशर्तो, शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम, व्यवसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्र कल्याण आदि के संबंध में अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये। इसी आयोग के सिफारिशों के अनुसार 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53 (मुदालियर आयोग) :

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के संबंध में एक आयोग का गठन किया जा चुका था तथापि शैक्षणिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जा रहा था कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विस्तृत ढ़ंग से विचार किया जाना चाहिए जिससे माध्यमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। सन् 1949 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने सरकार से आग्रह किया कि वह माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करें। सन् 1951 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने अपने इस सुझाव को पुनः दोहराया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 23 सितम्बर सन् 1952 को डॉ0 मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया।

आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन–माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उनके संबंध में सुझाव देना था। प्रश्नावली व साक्षात्कारों की सहायता से माध्यमिक शिक्षा की विविध समस्याओं का परिचय पाकर आयोग ने उनका समाधान खोजने का प्रयास किया। आयोग ने 29 अगस्त 1953 का 240 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया।

शिक्षा आयोग, 1964–66 (कोठारी आयोग) :

स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा का अत्यंत तीव्रगति से विकास हुआ, परंतु यह विकास केवल संख्यात्मक था गुणात्मक नहीं। इसके साथ–साथ सविधान में शिक्षा के प्रति किये गये संकल्पों को भी पूरा नहीं किया जा सका जिससे शिक्षा क्षेत्रों में असंतोष प्रकट किया जाने लगा तथा स्वतंत्रोत्तर भारत में शिक्षा के समस्त पक्षों की विस्तारपूर्वक जाँच करने के लिए एक आयोग के गठन की मांग की जाने लगी। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों से भी सभी स्तरों की शिक्षा में सुधार करने की मांग की जा रही थी, तब 14 जुलाई सन् 1964 को भारत सरकार ने डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा की।

कोठारी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिये 12 मुख्य कार्यदल तथा 7 सहायक कार्यदल बनाये। इन कार्यदलों ने लगभग 100 दिन तक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के स्कुलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया तथा लगभग 9000 व्यक्तियों से साक्षात्कार किया। आयोग ने 2400 से अधिक लिखित उत्तरों का विश्लेषण भी किया तथा इन सभी सूचनाओं के आधार पर 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया जिसे 20 जून 1966 को भारत सरकार को समर्पित किया गया। आयोग ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साघन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

संस्कृत आयोग, 1956–57 :

संस्कृत शिक्षा, संस्कृत भाषा के शिक्षण, संस्कृत विश्वविद्यालयों की दशा, संस्कृत पाण्डुलिपियों के संरक्षण तथा संस्कृत भाषा में अनुसंधान कार्य संबंधी विभिन्न ज्वलन्त प्रकरणों पर विचार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 1956 में संस्कृत आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष डॉ0 सुनीति कुमार चटर्जी अध्यक्ष, विधान परिषद् पश्चिम बंगाल थे एवं इसके सात अन्य सदस्य थे।

संस्कृत आयोग के द्वारा नवम्बर 1957 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया जिसमें छह शीर्षकों – (1) संस्कृत शिक्षा, (2) संस्कृत शिक्षण, (3) संस्कृत अनुसंधान, (4) पाण्डुलिपियाँ, (5) संस्कृत विश्वविद्यालय, तथा (6) सामान्य के अन्तर्गत स्तुतियाँ प्रस्तुत की गई थी।

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग– 1983–85 :

राष्ट्र के विकास व पुनर्निर्माण के कार्य में अध्यापकों के महत्व व उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए वर्ष 1983 में भारत सरकार ने अध्यापकों पर दो राष्ट्रीय आयोंगों का गठन किया जिनमें से एक को विद्यालयी स्तर के शिक्षकों तथा दूसरे को उच्च शिक्षा स्तर के शिक्षकों के संबंध में विचार विमर्श करके अपनी स्तुतियाँ देनी थी।

इस आयोग को अध्यापन वृत्ति के उद्देश्यों को निर्धारित करने, अध्यापकों को उचित सम्मान दिलाने के उपाय बताने, अध्यापन में गत्यात्मकता लाने, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अध्यापन में आकर्षित करने, पूर्व व सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण की समीक्षा करने, अध्यापकों के लिए आचार संहिता तैयार करने, शिक्षक संघों की भूमिका को रेखांकित करने तथा अध्यापक कल्याण के उपाय सुझाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये थे। आयोग ने वर्ष 1985 में अध्यापक तथा समाज नामक अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा। आयोग का मानना था कि राष्ट्र के अध्यापकों के कल्याण व उनकी स्थिति में सुधार करने का संकल्प करना चाहिये एवं शिक्षकों को अपने कर्त्तव्यों व अपनी वृत्तिक योग्यता बढ़ाने के लिए समर्पित होना चाहिए।

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग–द्वितीय 1983–85 :

भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्रथम बार अध्यापकों के लिए गठित दो आयोगों में से दूसरा आयोग प्रो0 रईस अहमद की अध्यक्षता में गठित किया गया था जिसे उच्च स्तर की शिक्षा, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी सम्मिलित हैं में कार्यरत अध्यापकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार करके संस्तुति देने का कार्य सौंपा गया था। इस आयोग के अध्यक्ष प्रो0 रईस अहमद थे। इस आयोग का कार्य विद्यालय स्तर के लिए गठित आयोग के समान ही था। इस आयोग का मुख्य कार्य उच्च शिक्षा पर अध्यापकों की सेवाशर्तो, प्रशिक्षण नियुक्ति, पदोन्नति तथा अध्यापकों की भूमिका को सुदृढ़ करने संबंधी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके अपने सुझाव प्रस्तुत करने थे। इस आयोग ने मार्च 1985 में अपनी सुझाव प्रस्तुत कर दी थी परन्तु उसे सन् 1987 में ही सार्वजनिक किया जा सका था।

इस तरह समय–समय पर गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों ने अपने सुझावों से भारतीय शिक्षा प्रणाली को भारतीय प्रजातंत्र एवं यहाँ के छात्र/छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुरूप ढ़ालने का प्रयास किया।

1. अग्निहोत्री रविन्द्र (2006)– आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
2. अग्रवाल, जे0 सी0 (1993)– लैंडमार्क्स इन दॉ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इन्डियन एजूकेशनः नई दिल्ली : वाणी बुक्स।
3. कबीर हुमायूँ (1956)–स्वतंत्र भारत में शिक्षा : दिल्ली : राज्यपाल एंड सन्स।

4. एल. पी. वैश्य– उच्च शिक्षा : दशा एव दिशा।
5. डॉ0 कर्ण सिंह– भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास
6. म्नोज मोहन गुप्ता–भारत की शिक्षा व्यवस्था।
7. प्यारेलाल रावत, 1972– भारतीय शिक्षा का इतिहास, राम प्रसाद एण्ड सन्स, आगरा।